विशेष वाद संख्या–06/99

08.08.2023

पत्रावली पेश। पुकारा गया, पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

वर्ष 1999 से लंबित पत्रावली में अभियोजन की ओर से केवल 1 ही साक्षी परीक्षित कराया गया है, जबकि गैंगेस्टर के मुकदमें की प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा इस न्यायालय में 2 विद्वान विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं, लेकिन उनकी प्रभावी पैरवी के उपरान्त भी साक्षीगण न्यायालय में अभियोजन के द्वारा परीक्षित नहीं कराये गये हैं। ऐसी स्थिति में विशेष लोक अभियोजक नियत तिथि पर प्रत्येक स्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष रखे जाने हेतु विशेष लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी जाए।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक–24.08.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–6/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), प्रतापगढ़।

Digitally signed by KUNDAN KISHORE
Date: 2023.08.08 16:34:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court